

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :- इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 375/2015/डिक्री

1. उदेलाल पिता डालू भोई
 2. प्यारा पिता नंदा भोई
 3. भैरू पिता केसु भोई
 4. अम्बालाल पिता प्यारा भोई
 5. मोडीराम पिता प्यारा भोई
 6. मोहन पिता भागा भोई
 7. मेघा पिता भागा भोई
 8. रामलाल पिता हीरा भोई
 9. भेरू पिता हीरा भोई
 - 10 उदी बेवा हीरा भोई
- सभी निवासी भोईखेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

—अपीलान्टस

बनाम

1. मांगू पिता भेरू भोई – मृतक के बजाय—
 1. खेमराज पिता मांगू भोई
 2. दाखी पुत्री मांगू भोई
 3. नारायण पिता मांगू भोई
 4. नानी बाई पत्नि मांगू भोई
2. राज्य जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़
3. उप-पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 20.10.2015 प्रकरण सं. 174/2011

- उपस्थित —
1. श्री किशनलाल कुमावत – अभिभाषक अपीलान्टस
 2. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट-1

निर्णय

दिनांक— 09.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,188 के तहत वादपत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया कि ग्राम भोईखेडा तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में खाता संख्या 41 में अंकित आराजी संख्या 811 ,812 ,813, 814 ,815, 816, 817, 826, 827, 828, 834 ,913 ,914, 915, 916, 917, 918, 931, 932, 933, 940, 941, 942, 943, 944, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967

कुल किता 32 रकबा 2.73 है⁰ स्थित होकर वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाशत मे चली आ रही है। उक्त विवादित आराजीया तमे वादी का $1/3$ प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का $1/9$ निहित था, जिसमे से प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को $1/25$ वां हिस्सा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 17/02/1993 को विक्रय पत्र कर दिया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 4,5 व 3 का $18/175$ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 से 10 का $1/3$ हिस्सा निहित है। उक्त आराजीया तमे वादी का निहित हिस्सा जरिये विभाजन से अलग कर खाता व लगान अलग कायम कराकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

2. अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्टस का क्रोस वाद होते हुए उस पर कोई कार्यवाही नही की एवं वादी का वाद डिक्री कर दिया। क्रोस वाद के अनुसार राजस्व रेकार्ड मे वादी का सिर्फ $1/7$ हिस्सा ही बनता है फिर भी $1/3$ हिस्सा मानने मे भारी भूल की एवं वादी का $1/3$ हिस्सा होने का कोई आधार वादी की तरफ से प्रस्तुत नही हुआ है फिर भी वादी का $1/3$ हिस्सा मान वादी का दावा डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय मे दावा सिर्फ 53,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट से पेश हुआ है। उक्त वाद मे धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की सहायता नही दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्टस को सुनवाई व साक्ष्य का कोई अवसर नही मिला। वर्तमान राजस्व रिकार्ड को गलत मानने को कोई आधार प्रकरण मे वादी ने पेश नही किया फिर भी बिना किसी आधार के वाद $1/3$ हिस्सा से डिक्री करने मे भूल की है। विवादित आराजीयात का कुछ हिस्सा बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक चित्तौड़गढ़ के रहन है जिसका अंकन भी जमाबन्दी मे है फिर भी वादी ने इसे पक्षकार नही बनाया है जो इस मुकदमे मे वादी के लिए आवश्यक पक्षकार है जिससे भी प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही के लिए आवश्यक पक्षकार है जिससे भी प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही उचित नही है फिर भी वादी का वाद डिक्री करने मे भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार ही पक्षकारान के मध्य विभाजन की डिक्री पारित की जानी चाहिए।

3 यह कि अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काशतकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन चाहने हेतु दिनांक 02/11/2015 को पेश किया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा⁰दी⁰ का भी पेश किया।

4. अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20/10/2015 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे वादी का वाद खारीज किया जावे, एवं अपीलान्टस द्वारा क्रोस वाद स्वीकार कर क्रोस वाद बंटवाडे का आदेश प्रदान करावे।

5. यह कि अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन चाहने हेतु दिनांक 02/11/2015 को पेश किया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 का भी पेश किया। अपीलान्टस अपने संयुक्त खाते की जमाबन्दी संवत् 2068 से 71 की पेश की है जो रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। जमाबन्दी में अपीलान्टस व रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का 1/7 हिस्सा दर्ज है जिसकी फर्जी व बनावटी होने की कोई संभावना नहीं है। प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिये प्रकरण में प्रस्तुत जमाबन्दी को रिकार्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संयुक्त खाते की जमाबन्दी संवत् 2068 से 71 को रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान करावे।

6. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य में चल रही थी जिसको दिनांक 15/09/2015 को शिविर में ले जाकर निर्णित कर दिया गया जिसमें मुख्यरूप से 1/7 या 1/3 हिस्सा पर विवादक निर्णित किया जाना था। मूलवाद धारा 53 तथा 188 आरटीएक्ट के तहत विचाराधीन था जबकि इसमें डिक्री जारी कर दी गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय की अंतिम डिक्री दिनांक 20/10/2015 खारीज की जाकर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जावे।

7. दौराने बहस वकील रेस्पोजेन्ट ने बयान किया कि दावे की कलम संख्या 1 में पारिवारिक सजरा उल्लेखित किया हुआ है। घीसा के तीन पुत्र नन्दा, बग्गा एवं भैरू हैं तीनों ही दावे से पूर्व फौत हो चुके हैं। भूमि शामिल होती दर्ज है परन्तु जमाबन्दी में हिस्सा नहीं लिखा हुआ है, जब 3 खातेदार दर्ज हैं एवं हिस्सा का खुलासा नहीं हुआ हो तो स्वतः ही तीनों का 1/3-1/3 हिस्सा बनता है। प्राथमिक डिक्री में जब तक हिस्सा उल्लेखित नहीं किया जावेगा तब तक बंटवाडा नहीं हो सकता। इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय को प्राथमिक डिक्री में हिस्सा भी उल्लेखित करना पड़ा। दोनों पक्षों के वकील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हैं एवं बहस सुनी गई है तत्पश्चात् ही गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया

जिसका फैसले मे भी उल्लेख है। अंतिम डिक्री जारी करने के पूर्व तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगाये गये है जो दिनांक 20/10/2015 को विधिवत प्राप्त हुए है। फर्द बंटवाडा पर दोनो पक्षो के हस्ताक्षर है। किसी पक्ष ने कोई आपत्ति दर्ज नही कराई है। विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक ही अंतिम डिक्री जारी की गई है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है।

8. बहस उभयपक्ष सुनी गई जिस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है कि अंतिम डिक्री एवं निर्णय दिनांक 20/10/2015 जारी करने के पूर्व सम्बन्धित तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगाये गये है जो दिनांक 20/10/2015 को विधिवत प्राप्त हुए है। फर्द बंटवाडा पर दोनो पक्षो के हस्ताक्षर है। फर्द तैयार करते समय किसी पक्षकार ने कोई आपत्ति दर्ज नही कराई है। विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक ही अंतिम डिक्री जारी की गई है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रतीत नही होता है। ऐसी सूरत मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। फलतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 174/2011 मे पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20/10/2015 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्टस खारीज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़